संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-78/2016.......7157(ए)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव,
संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 16.9.16

विषय:- भवन निर्माण विभाग द्वारा विभागीय योजना की अद्यतन मासिक समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा विभागीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु कुल 71 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यो की माह जुलाई, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) **भौतिक प्रगति:-**

- कुल 71 योजनाओं में से 39 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट **'क'** पर द्रष्टव्य है।
- 23 कार्य प्रगति में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ख'** पर द्रष्टव्य है।
- 5 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ग'** पर द्रष्टव्य है।
- 4 योजना स्थगित है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'घ'** पर द्रष्टव्य है।

(2) **वित्तीय प्रगति:-**

- भवन निर्माण विभाग द्वारा मांग संख्या-3 में कुल 24843.52 लाख का वजट उपबंध है, जिसके विरूद्ध 1384.08 लाख का व्यय हुआ है।

(3) **ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-**

- वैसी योजना जिसका तकनीकी स्वीकृति अथवा पुनरीक्षण की कार्रवाई के कारण लंबित है उसमें अपेक्षित गति लाते हुए कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- Project Management Information System में अद्यतन विहित प्रपत्र (17 कॉलम) में सभी सूचनाओं के साथ हस्ताक्षरित अधियाचना भेजने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया जाय।

(4) <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था</u>

- भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुश्रवण व्यवस्था हेतु Project Management Information System को सुदृढ़ किया जाय।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-78/2016....9147 पटना, दिनांक 16.9.16

प्रतिलिपि:- निदेशक(अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।